न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, पटना

-: आदेश :-

013

शस्त्र अपील वाद संख्या-127/2009 में आवेदक **डॉ0 अजय कुमार सिन्हा,** पिता-स्व0 छोटे लाल प्रसाद, ग्राम-चिरैयाटांड, पृथ्वीपुर, गली नं0-2, पो0-पोस्टल पार्क, थाना-कंकड़बाग, जिला-पटना से प्राप्त एक दो नाली बन्दूक हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या-42/2006 में पारित आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय (शस्त्र अपील) वाद संख्या-127/2009 में दिनांक-30.08.2011 को पारित आदेश के आलोक में पुनर्विचार हेतु यह वाद प्रारम्भ किया गया।

आवेदक को निबंधित डाक से सूचना दी गयी थी, परन्तु आवेदक अनुपस्थित। संचिका/अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि आवेदक लेक्चरर, हिन्दी विभाग -सह- लेफ्टिनेन्ट, एन0सी0सी0, कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कंकड़बाग, पटना के पद पर कार्यरत हैं। आवेदक द्वारा अपने जान-माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है, परन्तु सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक-2226/गो0, दिनांक-17.12.2008 का अवलोकन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस निरीक्षक-सह-थानाध्यक्ष एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, पटना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए, **"आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने की नितान्त आवश्यकता नहीं बताया गया है,"** तथा शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन मूल में संलग्न कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजा गया है। थानाध्यक्ष, कंकड़बाग के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। समर्पित प्रतिवेदन की कंडिका-10 अन्तर्गत आवेदक को कोई विशेष सुरक्षा भय होने की बात प्रतिवेदित नहीं की गयी है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0-V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक-31.03.2010 की कंडिका-II में एन0पी0बोर शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में निदेश अंकित है, जो निम्नवत है :-

The arms licences for acquisition of NPB weapons are considered by the State Government/DM concerned. At present, there are no norms for grant of NPB weapons and some State Governments may be issuing arms licences liberally.

कंडिका-II की उप कंडिका-b तथा e निम्नवत है :-

b) No licence may be granted without police verification, which will include report on i) antecedents of the applicant, ii) assessment of the threat, iii) capability of the applicant to handle arms, and iv) any other information which the police authority might consider relevant for the grant or refusal of licence.

e) The licensing authority shall be obliged to take into account the report of police authorities called for under section 13 (2) before granting arms licenses and no arms licence may be issued without police verification.

05-01/10

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/ 16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निर्हित निदेश एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/आशंका नहीं है तथा उन्हें एक दो नाली बन्दूक हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, तथा गृह मंत्रालय; भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक **डॉ0 अजय कुमार सिन्हा**, पिता–स्व0 छोटे लाल प्रसाद, ग्राम–चिरैयाटांड, पृथ्वीपुर, गली नं0–2, पो0–पोस्टल पार्क, थाना–कंकड़बाग, जिला–पटना के आवेदित एक दो नाली बन्दूक अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

शस्त्र अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Narayan Kumar 11/4/13
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

Narayan Kumar 11/4/13
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।